

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक - 1273 / 12-1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 25/11/2024.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- जनपद- पिथौरागढ़ के अन्तर्गत तहसील मुनस्यारी में जोशा से गांधीनगर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.95 है० वन भूमि गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में प्रस्ताव सं०- 47308/2020।

सन्दर्भ :- आपका पत्रांक 2455/12-1 दिनांक 01.05.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयगत संदर्भित पत्र के क्रम में आपके द्वारा जनपद- पिथौरागढ़ के अन्तर्गत तहसील मुनस्यारी में जोशा से गांधीनगर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.95 है० वन भूमि गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में प्रस्ताव सं०- 47308/2020 मोटर मार्ग के सम्बन्ध में आपके द्वारा लगाई गई आपत्तियों का निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ के पत्रांक 2330/12-1 दिनांक 13.11.2024 द्वारा वृत्त स्तर को प्रेषित किया गया है, जिसे मूल तीन प्रतियों में आपको सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है। कृपया अग्रेत्तर कार्यवाही करना चाहें।
संलग्न- तीन प्रतियों में।

भवदीय

(डॉ. धीरज पाण्डेय)

मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

04/10/2024

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ ।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com; Fax/☎ 05964-225234

पत्रांक:- 2330 /12-1 दिनांक, पिथौरागढ़, 13, नवम्बर, 2024 ।

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा ।

विषय:-

जनपद पिथौरागढ़ के तहसील मुनस्यारी अंतर्गत जोशा से गांधीनगर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.95 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में कतिपय आपत्तियों के निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

आपका पत्रांक 835/12-1 दिनांक 27.09.2024 व प्रस्तावक विभाग का पत्रांक

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में आपके सन्दर्भित पत्र से लगायी गयी आपत्ति के क्रम में अवगत कराना है कि वन भूमि हस्तांतरण की एस०ओ०पी० के अनुसार प्रारूप सं० 2.19(एल), 2.32, 2.34, 2.35, 2.38 तथा 2.4 में अंकित प्रपत्रों को प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से सत्यापित किया जाना प्रतिबद्ध नहीं है, जिस क्रम में प्रपत्रों में प्रभागीय वनाधिकारी/अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर अंकित नहीं किये गये हैं, प्रारूप सं० 30.3 में सम्बन्धित सचिव के हस्ताक्षर अंकित किये जा चुके हैं, जिन्हें प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है। प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव में प्रारूपों को क्रमवार लगा दिया गया है।

प्रकरण में प्रभावित वृक्षों की सूची में प्रजाति वार तथा वैज्ञानिक नाम अंकित करते हुए प्रपत्र पूर्व से संलग्न हैं, जबकि अंग्रेजी नाम की सूची पृथक से संलग्न की जा रही है।

अतः उपरोक्त के क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा आपत्तियों का निराकरण कर उपलब्ध कराये गये मूल प्रस्ताव संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित हैं।

संलग्न:- यथोक्त।

भवदीय,

(आशुतोष सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,

पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

✱